24.3.2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में ILR नक्शा करौली की रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस सुनी गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय प्रति मूल नक्शा के साथ पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट करौली

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0	आर.सी.एम.एस	तारीख रजू
08 / 2019	2019 / 00086	04.10.2019

1. कमलेश आत्मज नथुआ आयु 37 साल जाति जाटव निवासी खूवनगर तहसील करौली व जिला करौली (राज0)

अपीलाण्ट

बनाम

1. गिर्राज आयु 65 साल
2. बाबूलाल आयु 62 साल
3. रामरूप आयु 59 साल
4. नरसी आयु 56 साल

पुत्रान नथुआ जातियान जाटव निवासी ग्राम व पोस्ट खूबनूगर तहसील करौली व जिला करौली।

5. ग्राम पंचायत खूबनगर
6. श्रीमान तहसीलदार साहव लैण्ड होल्डर तहसील करौली व जिला करौली।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकण

निर्णय

दिनांक 24.03.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है अपीलान्ट ने यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि नामान्तकण सख्या 316 दिनांक 22.05.1992 ग्राप पंचाचत खूबनगर सहीतौर पर बिनार जानकारी के लोगों से पूछ कर पूरी संतानों की जानकारी यि बिना गलत आधार पर खोला है वादग्रस्त आराजीयात ग्राम खूबनगर तहसील करौली में स्थित है जिसमें मुताविक जानकारी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न01 ता 4 का वरावर का हिस्सा है और मुताविक हिस्सा के काबिज है तथा काश्त कर रह`है उक्त आराजीयात से दीगर व्यक्ति का कोई लेकना देना नही है नथुआ पुत्र सावलिया कौम जाटव के फौत होनक पर अपीलान्ट का नाम लापरवाही व भूलवश छोड दिया गया तथा रेस्पोडेन्ट के नाम जो कि अपीलान्ट के सगे भाई है तथा मा जनकी जो कि फौत हो चुकी है के नाम विरासत से नामान्तरण खोल दिया गया है अपीलान्ट ने नथुआ के वारिसान का सजरा अपील में मद न05 में दर्ज किया है। अपीलान्ट राशन कार्ड में नथुआ का पुत्र दर्ज है परिचय पत्र,आधारकार्ड,व सरपंच के प्रमाण पत्र में कमलेश नथुआ कापुत्र लिखा है। अपीलान्ट किसान कार्ड का लाभ लेने हेतु दिनांक 28.08.2019 को अपीलान्ट के जमाबन्दी लेने पर पता चला कि अपीलान्ट का नमा जमाबन्दी में दर्ज नही है, तव अपीलान्ट ने नामान्तरण की नकल का दिनांक 11.09.2019 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 19.09.2019 को नकल प्रस्तुत की जिसमें अपीलान्ट का नमा [illegible] है। तव अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलान्ट का नाम [illegible] किया जाना आवश्यक है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन [illegible] है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की [illegible] रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पोडेन्ट न01 ता 4 उपस्थित हुये जबाव [illegible] किया जिसमें अपील मीमों के तथ्यो की स्वीकार अपीलान्ट कमलेश का नाम नामान्तकरण में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है मूल नामान्तकरण तवल कर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार करौली से

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट तलव की गयी जो शामिल पत्रावली की गयी। रेस्पोडेन्ट न05 व 6 वाबजूद तामील उपस्थित नही हुये।

वहस वकील अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न0 1 ता 4 सुनी गयी । पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

वकील अपीलान्ट का वहस में कथन है कि अपीलान्ट मृतक नथुआ पुत्र सावलिया जाति जाटव निवासी खूबनगर का पुत्र है अपीलान्ट का नथुआ का पुत्र होना उसके समस्त रिकार्ड राशन कार्ड आधार कार्ड व परिचय पत्र से प्रमाणित है औश्र रेस्पोडेन्ट न0 1 ता 4 द्वारा भी अपीलान्ट का नथुआ का पुत्र होना स्वीकार किया है और सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी अपीलान्ट कमलेश को नथुआ का पुत्र होना अपने प्रमाण पत्र मं माना है नामान्तकरण संख्या 316 में पटवारी हल्का द्वारा किया जॉच के अपीलान्ट का नाम दर्ज कने से छोड गया है जिसकी जानकारी दिनांक 19.09.2019 को नकल नामान्तकरण प्राप्त होने पर अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का नाम नामान्तकरण में दर्ज किया जावें। वकील रेस्पोडेन्ट 01 ता 4 ने भी अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने व अपील के तथ्यों को सही होना कथन किया है।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया । पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण सख्या 316 व दस्तावेज अपीलान्ट राशन कार्ड,परिचय पत्र,आधार कार्ड,व प्रमाण पत्र नाम पंचायत एवं रिपोर्ट तहसलीदार का अवलोकन करने पर अपीलान्ट का नथुआ का पुत्र होना प्रकट है लेकिन नथुआ के अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट न0 1 ता 4 के अलवा पांच पुत्रीय लीलो,सुजरो,गीता,प्रेमवाई होना मौके पर्चा व रिपोर्ट पटवारी हल्का व आई.एल.आर. करौली से होना प्रकट होता है। अपीलान्ट व नथुआ की पुत्रीया मृतक की कानूनी वारिसान है जिसका नाम नामान्तकरण में दर्ज किया जाना व वारिसान की जॉच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है नामान्तकरण संख्या 316 दिनांक 22.05.1992 ग्राम खूबनगर तहसील करौली निरस्त किया जाता है पत्रावली तहसीलदार करौली को रिमण्ड निर्देश के साथ की जाती है कि वह मृतक नथुआ के वारिसान की जॉच कर पुनः विरासत नामान्तकरण अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणाव गुण पर निर्णय कर दर्ज करें। निर्णय की प्रामाणित प्रति मूल नामांतकरण पत्रावली के साथ तहसीलदार करौली को भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.05.25 16:55:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner